

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग III-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ ज्येष्ठ 15, 1937

No. 214]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

फा. सं. 1-10(1)/स्टेंडर्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषध प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकेगा;

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के सबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

# प्रारुप विनियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2015 है।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, "मछली और मछली उत्पाद" से संबंधित विनियम 2.6 में,--
  - (क) उपविनियम 2.61 में नमकीन मछली/शुष्कित नमकीन मछली से संबंधित खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
  - "7(1) 'शुष्कित/नमकीन और शुष्कित मछली उत्पाद' से ताजी या नमक के साथ या उसके बिना मछली को शुष्कित करने के पश्चात् स्वास्थ्यकर मछली से तैयार उत्पाद अभिप्रेत है।
  - (2) मछली नमक लगाने और शुष्क करने से पूर्व रक्तक्षरित, अंतडिया रहित, मुंड रहित, चीरी हुई या कटी हुई और धोई हुई होगी।
  - (3) नमकीन मछली बनाने को प्रयुक्त नमक स्वच्छ, विजातीय प्रदार्थों से मुक्त, धूल, तेल, नितल या अन्य बाहरी सामग्री के संदूषण के दृश्य चिह्न दर्शित नहीं होंगे।
  - (4) उत्पाद विजातीय पदार्थ, आपत्तिजनक गंध और सुवास से मुक्त होगा।
  - (5) उत्पाद में परिशिष्ट 'क' में अनुज्ञात खाद्य योज्यक अंतर्विष्ट हो सकेंगे ।
    - (6) उत्पाद विनियम में अभिकथित सुक्ष्म जैविकीय शोर रासायनिक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।
    - (7) उत्पाद निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा;

क्रम सं. (1)	विशेषताएं (2)	अपेक्षाएं (3)
1.	25º सेंटीग्रेट पर जल क्रियाशील (a <sub>w</sub> )	0.78 से कम
2.	लवण अबयब (सोडियम कलोराइड प्रतिशत)	12% से कम नहीं
3.	हिस्टामाइन" अबयब अधिकतम	200 मि.ग्रा./कि.ग्रा.
4.	शुष्क आधार पर अम्ल में घुलनशील भस्म	1% से अधिक नहीं

<sup>\*</sup> लवण अबयब की अपेक्षा केवल शुष्क नमकीन मछली उत्पाद में लागू होगी ।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15(103)]

<sup>\*\*</sup> हिस्टामाइन अबयब की अपेक्षा हिस्टामाइन विषाक्ता के साथ सहबद्ध सूचीबद्ध मछली प्रजातियों से तैयार केवल शुष्कित/शुष्कित नमकीन मछली उत्पाद के लिए लागू होगी।

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013।
- (ii) फा. सं. पी.15014/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013।
- (iii)फा. सं. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013।
- (iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014 ।
- (v) फा. सं. 1-83 एल/ एस सी आई- पी ए एन- अधि./ एफ एस एस ए आई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

F. No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, duly supported by scientific evidence may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

### **Draft regulations**

- 1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2015.
- 2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.6 relating to "Fish and Fish Products",
- (a) in sub-regulation 2.6.1, in clause (7) relating to salted fish/dried salted fish, the following shall be substituted, namely:-
  - "7(1) Dried/ salted and dried fishery products means the product prepared from fresh or wholesome fish after drying with or without addition of salt.
    - (2) The fish shall be bled, gutted, beheaded, split or filleted and washed prior to salting and drying.
    - (3) Salt used to produce salted fish shall be clean, free from foreign matter, show no visible signs of contamination with dirt, oil, bilge or other extraneous materials.
    - (4) The product shall be free from foreign matter, objectionable odour and flavour.
    - (5) The product may contain food additives permitted in Appendix A.

- (6) The product shall conform to the microbiological and chemical requirement as laid down in the regulation.
- (7) The products shall conform to the following requirements:
- \*\* Requirement of Histamine content is only applicable for dried/dry-salted fishery products prepared from listed fish species associated with histamine poisoning."
- \*Requirement of salt content is only applicable to dry salted fishery products.

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./187-O/15(103)

Sr. No. (1)	Characteristics (2)	Requirements (3)
1.	Water activity (a ), at 25°C	Less than 0.78
2.	Salt Content (percent Sodium Chloride)*	Not less than 12 %
3.	Histamine** content, max.	200 mg/Kg
4.	Acid Insoluble Ash on dry basis	Not more than 1%

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011.

- (i) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
- (ii) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.
- (iii) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013.
- (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014
- (v) F. No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015